<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 47 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-05 / 12 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504002012014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

- युनूस पिता कय्यूम खान, उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 09, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. असलम पिता रसूल शाह, उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, राम मंदिर की चाल, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 14.12.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 456, 336 भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.01.2014 को रात्रि 11:45 बजे आर.के. ढाबा बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी के ढाबे में घुसकर रात्रौ गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कारित किया एवं फरियादी के ढाबे पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर व लकड़ी फेंककर उसे मारकर वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 18.01.2014 को रात्रि 11:45 बजे अपने ढांबे को बंद करके स्टाफ के साथ खाना खा रहा था। तभी अभियुक्तगण उसके ढांबे में आये और खाना खाना है कहकर खाना लगाने के लिए कहा जिस पर फरियादी ने उन्हें कहा कि होटल बंद हो गयी है अब खाना नहीं मिलेगा जिस पर अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। उसके द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसके साथ धक्का मुक्की कर हाथ थप्पड़ से मारपीट किये और उतावलेपन से लकड़ी एवं पत्थर से उसके ढांबे के कांच, उसके ढांबे के पास शरद जैसवाल की खड़ी बस क. एमपी—04—पीए—0314 के कांच तथा उसकी इको कार क. एमपी—04—सीएच—4159 के कांच फोड़ दिये। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दिये। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 55/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का

चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। नुकसानी पंचनामे बनाये गये। घटना स्थल से कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, 427, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 456, 336 भा0दं0सं0 के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.01.2014 को रात्रि 11:45 बजे आर.के. ढाबा बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी के ढाबे में घुसकर रात्री गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन कारित किया एवं फरियादी के ढाबे पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर व लकड़ी फेंककर उसे मारकर वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 राजकुमार जैसवाल (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि लगभग ढाई वर्ष पुरानी होकर आर.के. ढाबा बोड़खी के बाहर की रात्रि 11—12 बजे की है। घटना के समय वह ढाबा में था तभी अभियुक्तगण ने ढाबा के बाहर आकर उसे गंदी गंदी गालियां देकर उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किये थे एवं ढाबे के बाहर खड़ी बस क. एमपी—04—पीए—0314 एवं उसकी इको कार क. एमपी—04—सीएच—4159 की कांच तोड़ दिये थे जिससे लगभग बीस हजार रूपये का नुकसान हुआ था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) पुलिस थाना आमला में की थी जिस पर पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2), बस का नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श प्री—3) एवं कार का नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श प्री—5) तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किये हैं।
- 7 आहत / फरियादी राजकुमार (अ.सा.—1) द्वारा अभियोजन की घटना का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे

जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि दिनांक 18. 01.2014 को अभियुक्त युनूस एवं असलम ने आर.के. ढाबा के अंदर घुसकर मारपीट की थी एवं ढाबे के अंदर तोड़फोड़ कर आलमारी, गिलास, कोल्ड्रीक, कुर्सी टेबल आदि सामान तोड़कर तीस हजार रूपये का नुकसान किया था एवं ढाबे में पत्थर फेंककर मानव जीवन संकट में डाला था।

- अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा आर.के. ढाबा बोडखी के बाहर फरियादी के साथ मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर हाथ मुक्कों करना एवं बस क. एमपी–04–पीए–0314 तथा कार एमपी-04-सीएच-4159 की तोडफोड कर रिष्टी कारित करना एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी दी जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्तगण को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना फरियादी के ढाबे के अंदर कारित की जाना तथा फरियादी के ढाबे पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर व लकड़ी फेंककर उसे वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया गया हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण द्वारा धारा ४५६, ३३६ भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी के ढाबे में ध र्मकर रात्री गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन कारित किया एवं फरियादी के ढाबे पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर व लकड़ी फेंककर वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया। निष्कर्षतः अभियुक्तगण युनूस एवं असलम को धारा ४५६, ३३६ भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 9 प्रकरण में जप्तशुदा कांच के टुकड़े अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसर संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- 10 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)